

राजस्थान सरकार
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

आदेश

प्राची के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी
वधु.अ.नि.

नायब तहसीलदार की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान धू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला

की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	छापली	4	अमराराम पिता मरुना	अमराराम पिता मरुनाराम

.....
सहायकी पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
खण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 3/10/25

क्रमांक :- 125/270

- प्रतिनिधि :- को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जोध
1. तहसीलदार किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्राची श्री को सूचनाएं।
 3. रक्षित पत्रावली अमराराम पिता मरुनाराम

.....
सहायकी पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर